दिनांक- 25.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 17.02.2024 को वादी द्वारा थाना चिलकाना उपस्थित आकर एक किता लिखित तहरीर बाबत प्रतिवादी **नावेद पुत्र मुकर्रम निवासी नल्हेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** द्वारा वादी की नाबालिक लडकी को भगा ले जाने के सम्बन्ध मे **मु0अ0स0 39/2024 धारा 363 भादवि** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल सज्ञांन लेकर सम्बन्धित को अभियान चलाकर अपहृता की शीघ्र सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिये। आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त **नावेद पुत्र मुकर्रम निवासी नल्हेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित **मु0अ0सं0 39/2024 धारा 363 भादवि** को आज दिनाकं 25.04.2024 को महिला थाना यमुना नगर हरियाणा से हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे **धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम** की वृद्धि की गयी।अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

नावेद पुत्र मुकर्रम निवासी नल्हेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 नरेन्द्र सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 494 योगेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. म0का0 1470 अन्जु थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 25.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **शाहरूख पुत्र फारूख निवासी पीर माजरा फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर** को आज दिनाकं 25.04.2024 को ग्राम गुमटी से पीर माजरा की जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर **मु0अ0स0 98/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ पर अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त ने बताया कि मै गांव के लोगों व अपने दोस्तों मे अपना रोब जमाने के लिए यह तमन्चा अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

शाहरूख पुत्र फारूख नि0 पीर माजरा फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 देशी तमन्चा 12 बोर

01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः- 25.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे / निशादेही से चोरी की 02 मोटर साईकिल बरामद ।

सादर अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, वाहन चोरी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.04.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चिलकाना रोड़ रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे से 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त **शाजेब पुत्र सुलेमान निवासी मौ0 रसूलपुर बेहट रोड़ थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शाजेब उपरोक्त के कब्जे से 02 मोटर साईकिल एच.एफ. डिलक्स बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। अभियुक्त शाजेब उपरोक्त का 01 साथी मौके से फरार हो गया। बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध **मु0अ0सं0 109/2024 धारा 414/411 भादवि** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शाजेब उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शाजेब उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै पढा लिखा नही हूं और नशे का आदि हूं।मैने व मेरे साथी ने 01 मोटर साईकिल मण्डी समिति के पास से दिनांक 23.04.2024 को चोरी की थी तथा दूसरी मोटर साईकिल काफी समय पहले थाना बेहट क्षेत्र से चोरी की थी हम लोग इधर उधर से मोटर साईकिल चोरी कर उन्हे चलते फिरते लोगो को सस्ते दामों मे बेच देते है जिससे हम लोगो का नशे का खर्चा निकल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाजेब पुत्र सुलेमान निवासी मौ0 रसूलपुर बेहट रोड़ थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

02 मोटर साईकिल एच.एफ. डिलक्स बिना नम्बर प्लेट।

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0-109/24 धारा 414/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-171/2024 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सुभाषचन्द्र थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2.है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3.का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:25-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.04.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 वारंटी अभियुक्त **अनीस पुत्र यासीन नि0 अहमद नगर रहमानिया मस्जिद खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर** सम्बन्धित **अ0सं0 398/96** मुकदमा न0 625/24 **धारा 380/511 भादवि** चालानी थाना मण्डी, **सम्बन्धित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनीस उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनीस पुत्र यासीन निवासी अहमद नगर रहमानिया मस्जिद खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 717 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 25/04/2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगणो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के रूपये व 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 24/04/2024 को वादी मुकदमा अशोक कुमार गुप्ता पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी मौहल्ला छत्ता रामबाग कालोनी कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर एक किता लिखित तहरीर बाबत दिनांक 17/04/24 को वादी की दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा वादी का आधार कार्ड व 45000/-रुपये चोरी कर लिये है । जिसके सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर **मु0अ0सं0-149/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात** के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तों **(1) उवेश उर्फ उजैफ पुत्र वाजिद निवासी मौहल्ला सरवट थाना सिविल लाईन्स जनपद मुजफ्फरनगर (2) रियासत पुत्र अलीमुद्दीन नि0 ग्राम कम्हेड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर** को आज दिनांक 25.04.2024 को गाँधी कालोनी की तरफ जाने वाले रास्ते पर मदीना चौक से मौहल्ला सरवट थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी गये सामान को बरामद किया तथा 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर अभियुक्त उवेश उर्फ उजैफ उपरोक्त से बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 149/24 मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी तथा नाजायज अस्लाह की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उवेश उर्फ उजैफ के विरूद्ध थाना गंगोह पर **मु0अ0सं0- 150/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि अब से करीब 01 हफ्ते पहले अपने साथी शहजाद उर्फ गंजा उर्फ डीआईजी पुत्र सलीम हाल नि0 सुभाष नगर नाला के पास चिड़िया घर थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर के साथ मिलकर दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी कालेज रोड गंगोह से करीब 45,000 रुपये व 01 आधार कार्ड चोरी किया था। हम दोनो से जो 22500/- रूपये व आधार कार्ड जो आपने बरामद किये है यह उन्ही चोरी के पैसों में से है तथा आज से करीब 25 दिन पहले अपने तीसरे साथी शहजाद के साथ मिलकर सुभाष चौक देवबन्द कपडे की दुकान से दोपहर के समय 40000/- रूपये चोरी किये थे यह 8300 रूपये उसी चोरी के पैसो में से बचे हुए है तथा हम तीनो द्वारा गंगोह पर नानौता रोड से दवाईयों की दुकान से भी करीब 2000 रु0 चुराये थे जो हमसे खर्च हो गये है। बरामद तमन्चे व कारतूस के बारे में पूछने पर अभियुक्त उवेश उर्फ उजैफ उपरोक्त ने बताया कि यह तमन्चा मै अपनी सुरक्षा के लिये रखता हूं।

बरामदगी का विवरणः-

(1) 30,800 रु0 (बरामद पैसे)

(2) एक अदद आधार कार्ड

(3) 01 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

(1)उवेश उर्फ उजैफ पुत्र वाजिद नि0 मौहल्ला सरवट थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर उम्र करीब 19 वर्ष (गिरफ्तार)

(2)रियासत पुत्र अलीमुद्दीन नि0 ग्राम कम्हेड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 42 वर्ष (गिरफ्तार)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उवैश उर्फ उजैफ

(1) मु0अ0सं0- 175/21 धारा 380/411/454 भा.द.वि चालानी थाना पुरकाजी जनपद मु0नगर

(2) मु0अ0सं0- 35/24 धारा 380/411 भा.द.वि चालानी थाना कैराना जनपद शामली

(3) मु0अ0सं0- 06/24 धारा 380/411 भा.द.वि चालानी थाना थानाभवन जनपद शामली

(4) मु0अ0सं0- 457/23 धारा 380/411/454 भा.द.वि चालानी थाना थानाभवन जनपद शामली

(5) मु0अ0सं0- 132/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रियासत

(1) मु0अ0सं0- 12/15 धारा 323/354(ख) भादवि चालानी थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर

(2) मु0अ0सं0- 369/18 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर

(3) मु0अ0सं0- 248/15 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 362 अमित पँवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. का0 922 वंश थाना गंगोह जनपद सहारनपुर